लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय

तथा

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय

के बीच

वर्ष 2019-2021 के लिए

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक रूप से "पक्ष" कहा गया है) ;

इनके बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों पक्ष के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की **इच्छा से**;

वर्ष **2019-2021** की अवधि के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (जिसे इसके पश्चात् - कार्यक्रम कहा गया है) पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

संगीत और नृत्य

दोनों पक्ष, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित संगीत और नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से कला प्रस्तुति करने वाले कलाकारों, प्रत्येक का अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 2

रंगमंच

1) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।

2) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच आपसी आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3

प्रदर्शनी, संगोष्ठी और सम्मेलन

1) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर आपसी आधार पर दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।

2) दोनों पक्ष, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर संस्कृति और कला पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 4

सांस्कृतिक विरासत

1) दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।

2) दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ का परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 5

अभिलेखागार

1) दोनों पक्ष, अपने-अपने संग्रहों में पुन: पूर्ति के लिए भारत के अभिलेखागार में लातविया के इतिहास और लातविया के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ दोनों पक्ष के हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियां) का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी कार्यविधियां परस्पर परामर्श के माध्यम से तैयार की जाएंगी।

2) दोनों पक्ष, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के अंकीकरण एवं अंकीय परिरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6

पुस्तकालय

1) दोनों पक्ष पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।

2) दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच पुस्तकालय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों के आदान-प्रदान में मदद करेंगे।

अनुच्छेद 7

संग्रहालय

1) दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी।

2) दोनों पक्ष, संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उप संग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों, संरक्षकों सहित संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे।

ग) दोनों पक्ष मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 8

साहित्य

1) दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर एक लेखक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे।

2) दोनों पक्ष, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 9

अनुसंधान और प्रलेखन

दोनों पक्ष निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

1) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्परा तथा कथा रूपों का अध्ययन।
2) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलाप तैयार करना।
3) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।

4) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।

5) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण करना।

अनुच्छेद 10

विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र

दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ स्तर के एक विज्ञान संचार पेशेवर का आदान-प्रदान करेंगे। प्रत्येक के लिए दौरे की अवधि एक सप्ताह होगी।

अनुच्छेद 11

महोत्सव

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें एक-दूसरे पक्ष के मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। शामिल किए गए इन दौरों और अन्य कार्यकलापों के ब्यौरे पारस्परिकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 12

फिल्म और मीडिया

1) दोनों पक्ष, अपने-अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच मीडिया साक्षरता और मीडिया व्यावसायिकरण के क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

2) दोनों पक्ष, अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

3) दोनों पक्ष, फिल्म निर्माण और फिल्म निर्माण सेवाओं में सहायोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 13

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

1) इस कार्यक्रम के अनुसार किए जाने वाले सभी कार्यकलाप और आदान-प्रदान प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुरूप कार्यान्वित किए जाएंगे।

2) दोनों पक्ष, इस बात पर सहमत होंगे कि इस कार्यक्रम में उल्लिखित सभी पहलों को उनके संबंधित वार्षिक बजटों में आबंटित निधियों की सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा।

3) इस कार्यक्रम के सभी प्रावधानों, कार्यकलापों और कार्यान्वयन के ब्यौरों पर संगत संस्थाओं द्वारा परस्पर रूप से सूचना और सहमति प्रदान की जाएगी।

4) **व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :**

प्रत्येक पक्ष, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह पहले भेजेगा। मेजबान पक्ष, उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति की पुष्टि तीस (30) दिनों के भीतर या शीघ्रातिशीघ्र करेगा।

5) **प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :**

प्रेषक पक्ष, मेजबान पक्ष की राजधानी तक ले जाने और वहां से लौटाने के लिए प्रदर्शनी के परिवहन की लागत का वहन करेगा। मेजबान देश के क्षेत्र में यदि प्रदर्शनियां एक से अधिक शहर में आयोजित की जाती हैं तो उस मामले में प्रदर्शनियों की परिवहन की लागत का भुगतान दोनों संविदात्मक पक्षों की संबंधित संस्थाओं के बीच करार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

मेजबान पक्ष, हॉल किराए पर लेने, सुरक्षा, तकनीकी सहायता (भंडारण सुविधाएं, संस्थापन व्यवस्थाएं, प्रकाश व्यवस्था, तापन, विघटन और प्रकाशनों का मुद्रण यथा पोस्टर, सूचीपत्र और निमंत्रण पत्र) की लागत सहित प्रदर्शनी के आयोजन की लागत वहन करेगा। मेजबान पक्ष प्रदर्शनी के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी करेगा।

प्रेषक पक्ष, प्रदर्शनियों के परिवहन और आयोजन के दौरान प्रदर्शों की बीमा लागत का वहन करेगा।

क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, मेजबान पक्ष क्षति के कारण का संदर्भ देते हुए प्रेक्षक पक्ष को नि:शुल्क रूप से संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएगा ताकि प्रेषक पक्ष द्वारा बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने में सहायता मिल सके। मेजबान पक्ष क्षतिग्रस्त प्रदर्शों को प्रेषक पक्ष की सहमति के बिना उनकी मूल अवस्था या रूप में वापस लाने का कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा।

दोनों पक्ष, अग्रिम रूप से प्रदर्शनी के साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनके रुकने की समयावधि के संबंध में सहमति व्यक्त करेंगे।

संबंधित सूचीपत्र के विवरण से संबंधित आवश्यक सूचना उद्‌घाटन की तिथि से 90 (नब्बे) दिन पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए। कला प्रदर्श अपने गंतव्य स्थान पर प्रदर्शनी खुलने से 15 दिन पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

6) **सामग्रियों का आदान-प्रदान :**

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

7) **वित्तीय प्रावधान पारस्परिकता के आधार पर समायोजित किए जाएंगे, यथा :**

- प्रेषक पक्ष अपने प्रतिनिधिमंडलों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय का वहन करेगा और विशेष उपकरणों की परिवहन लागत का वहन करना सुनिश्चित करेगा।

- मेजबान पक्ष आवास, भोजन और आंतरिक यात्रा के व्यय के साथ-साथ अन्य व्यय (आपातकालीन) की लागत का वहन करेगा।

- प्रत्येक व्यक्ति और प्रतिनिधिमंडल अपने चिकित्सा बीमा के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8) **दौरों की अवधि**:

प्रेषक पक्ष, दो सप्ताह से अनधिक अवधि के दौरे के मामले में अपने मंचकला समूहों और प्रतिनिधिमंडल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष, आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें नि:शुल्क आवास एवं भोजन और आंतरिक यात्रा व्यय शामिल हैं। यह दोनों पक्षों पर लागू होगा।

अनुच्छेद 14

विविध

दोनों पक्षों के बीच इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की विवेचना, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दोनों पक्षों के बीच परामर्श या बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के उपबंध दोनों पक्ष को अन्य व्यवस्थाओं पर, जिसे वे वांछित समझें, परस्पर रूप से सहमत होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

दोनों पक्ष, इस कार्यक्रम को आपसी सहमति से लिखित रूप में संशोधित कर सकते हैं।

यह कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्त होगा और 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगा।

दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को 6 (छः) माह पूर्व लिखित नोटिस देकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम की समाप्ति से इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी जारी कार्यक्रम और परियोजना के समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक दोनों पक्ष कोई अन्यथा निर्णय न लें।

इस कार्यक्रम पर ...20. 8. 2019... को ...Riga... में लातवियन, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

लातविया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से

भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय की ओर से